AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

आरक्षित तिथि: 27-06-2024
घोषित तिथि: 23-08-2024

एमएसी नं. 145/2017

दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा शाखा प्रबंधक / शाखा कार्यालय, मेडिकल कॉलेज रोड, जगदलपुर, तहसील और जिला-जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के ओर से.....बीमाकर्ता, छत्तीसगढ़

----------**अपीलकर्ता**

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. श्रीमती सुखयारिन पति स्वर्गीय लखन राम ओझा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम भाटपाल, नर्सरीपारा, पोस्ट और पुलिस स्टेशन बेनूर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़
2. ध्रुव कुमार पिता स्वर्गीय लखनराम ओझा, उम्र लगभग 10 वर्ष, नाबालिग की ओर से प्राकृतिक संरक्षक मां उत्तरवादी क्र.-01, निवासी ग्राम भटपाल, नर्सरीपारा पोस्ट व पुलिस स्टेशन बेनूर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़,
3. शिवा पिता स्वर्गीय लखनराम ओझा, उम्र लगभग 8 वर्ष, नाबालिग की ओर से प्राकृतिक संरक्षक मां उत्तरवादी क्र.-01, निवासी ग्राम भटपाल, नर्सरीपारा पोस्ट व पुलिस स्टेशन बेनूर, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़, ... दावेदार क्रमांक 1 से 3
4. रवीन्द्र कुमार वड्डे व पुत्र जैतराम वड्डे, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम गोहदा, पोस्ट रेमावंड, तहसील और जिला नारायणपुर ..चालक, जिला नारायणपुर, छत्तीसगढ़
5. जयराम वड्डे पुत्र रेणु वड्डे, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम गोहदा पोस्ट रेमावंड, तहसील व जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़.....स्वामी, जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़

--- उत्तरदाता

अपीलकर्ता की ओर से -श्री राज अवस्थी, अधिवक्ता ।

उत्तरदाता 4 एवं 5 की ओर से -श्री अविनाश चंद साहू, अधिवक्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

सीएवी आदेश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अपीलकर्ता- बीमा कंपनी ने यह विविध अपील, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के तहत विद्वान मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 8-11-2016 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया है जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, कोंडागांव जिला कोंडागांव (छ.ग.) के MACC NO. 03/2014 (श्रीमती सुधियारिन एवं अन्य बनाम रविन्द्र कुमार वड्डे एवं अन्य), जिसके तहत दावा याचिका दायर करने की तिथि से दावेदारों को अंतिम भुगतान होने तक 9% ब्याज के साथ 8,07,400/- रूपये का मुआवजा दिया है ।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी 1 से 3. मृतक लखनराम के कानूनी उत्तराधिकारी/ प्रतिनिधि है। दिनांक 05.04.2013 की सुबह लगभग 8 बजे, चालक/प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा एक महिंद्रा ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CG- 17 G- 4925 को तेज गति व लापरवाही से चलाया जा रहा था, मृतक लखनराम, जो अपनी मोटर साइकिल से अपने गांव बोहड़ा के समीप जो कोंडागांव से नारायणपुर मुख्य मार्ग, पर स्थित हैं, जा

रहा था, को टक्कर मार दिया, जिसके फलस्वरूप लखनराम को गंभीर चोटे आने पर उसे जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे शासकीय महारानी अस्पताल, जगदलपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। वह दिनांक 10-4-2013 तक भर्ती रहा और इलाज के दौरान उसके बाएं पैर का ऑपरेशन हुआ और घुटने के नीचे से पैर काट दिया गया और उसके बाद दिनांक 5-5-2013 को उसकी मृत्यु हो गई। यह आरोप लगाया गया है कि दुर्घटना से पहले मृतक लखन की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और कृषि कार्य करते हुए 5000 रुपये प्रतिमाह कमाता था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. प्रतिवादी क्रमांक 1 से 3 मृतक लखनराम की पत्नी और बच्चों ने मोटर वाहन अधिनियम की 166 सहपठित धारा 140 के तहत चालक, दुर्घटनाकारित ट्रैक्टर मालिक और वाहन की बीमा करने वाली बीमाकर्ता कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया और उक्त दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने IPC की धारा 279, 337 और 304 (ए) भी दर्ज की गई है। प्रतिवादी नं. 4 वाहन चालक के खिलाफ थाना बेनूर में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और जांच उपरांत चालान दाखिल कर दिया।

4. दावेदार / प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए दावा न्यायाधिकरण ने गवाहों अर्थात् श्रीमती सुखियारिन बाई (PW / 1), विजू (PW / 2)

से पूछताछ की और प्रस्तुत दस्तावेज अर्थात प्रतिवादी संख्या 4 के विरुद्ध आपराधिक मामले के संबंध Cr.P.C. की धारा 173 के अंतर्गत पंजीकृत अंतिम प्रतिवेदन (Ex.P 1), Cr.P.C. की धारा 154 के तहत दर्ज एफआईआर (Ex.P 2 एवं 3), अपराध विवरण फॉर्म (Ex.P 4), चिकित्सा के लिए आवेदन जांच (Ex.P 5), मर्ग सूचना (Ex.P 6), संपत्ति जब्ती ज्ञापन (Ex.P 7) नक्शा पंचायतनामा (Ex.P 8) पोस्टमॉर्टम के लिए आवेदन (Ex.P 9) पोस्टमार्टम रिपोर्ट (Ex.P 10) गिरफ्तारी पत्रक (Ex.P 11) का परीक्षण किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. बीमा कंपनी/प्रतिवादी क्रमांक 3 ने लिखित कथन प्रस्तुत किया एवं आरोप से इनकार करते हुए कहा कि प्रतिवादी नंबर 1 गाड़ी चला रहा था वह वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाया और इस बात से भी इनकार किया कि मृतक की उम्र लगभग 40 वर्ष थी और वह कृषि कार्य से 5,000 रुपये प्रतिमाह कमा रहा था। मृतक कृषि कार्य नहीं करता था एवं यह भी तर्क किया कि दुर्घटना के समय मृतक के पास वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस नही था, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 / बीमा कंपनी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि बीमा कंपनी की नीति का उल्लंघन है इसलिए, प्रतिवादी नंबर 3 / बीमा कंपनी दावेदारों को मुआवजा दिये जाने के लिए जिम्मेदार नहीं है यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि प्रतिवादी क्रमांक 1 और

2 आपस में टकरा गए थे, इसलिए उन्हें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 170 के अनुसार सभी उपलब्ध बचाव उपाय अपनाएं जाने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

6. प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने इस तथ्य से इनकार करते हुए अपना लिखित कथन प्रस्तुत किया है कि यह दुर्घटना प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा ट्रैक्टर पंजीकरण संख्या CG-17 G-4925 तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप मृतक को चोटें आईं। इस बात से इनकार किया गया है कि दावेदार मृतक के कानूनी प्रतिनिधि हैं तथा दावा आवेदन खारिज करने की प्रार्थना की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. बीमा कंपनी द्वारा सुखियारिन बाई (PW/1) का प्रतिपरीक्षण किया जिसमें उसने स्वीकार किया है कि मृतक की मृत्यु घर पर में हुई थी और यह भी माना है कि यदि मृतक को उचित उपचार दिया गया होता, अस्पताल में भर्ती कराया जाता तो उसकी जान बच जाती। विज्जू (PW/21) ने भी दावेदारों के मामले का समर्थन किया और उससे प्रतिवादी क्रमांक 1 और 2 द्वारा प्रतिपरीक्षण किया लेकिन उसके मुख्य कथन में किये गये कथन का खंडन करने के लिए कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है ।

8. बीमा कंपनी ने अपने पक्ष समर्थन में किसी भी गवाह का साक्ष्य नही किया है । विद्वान मोटर दुर्घटना दावाधिकरण ने साक्ष्य और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की सराहना करते हुए वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 पर निर्णय दावेदारों के पक्ष में दिया और तदनुसार दावाधिकरीण ने 8,07,400 /- रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है।

दावाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड से व्यथित होकर बीमा कंपनी ने तत्काल मोटर वाहन अधिनियम की धारा 173 के अंतर्गत विविध अपील प्रस्तुत किया है।

9. अपीलकर्ता/बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर में कहा कि मृतक को आई चोटे सामान्य प्रकृति की थी जो EX.P-10 से स्पष्ट है, और उसकी घर में ही मृत्यु हो गई, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मृतक की मौत प्रतिवादी क्रमांक 4 द्वारा ट्रैक्टर लापरवाही और तेजी से चलाने के कारण हुई । उसने आगे कथन किया कि विद्वान दावाधिकरण तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि लखनराम को लगी चोट और उसकी मौत के कारण के बीच कोई संबंध है उन्होंने आगे कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि दावेदारों ने कोई चिकित्सीय साक्ष्य पेश नहीं किया है जो चोटों के बीच संबंध को साबित करता है जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि यह एक सामान्य मृत्यु है, इसलिए बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने तत्काल अपील की अनुमति देने की प्रार्थना की। अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, उन्होंने इस न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के प्रकरण विविध अपील (सी) क्रमांक 251/2007 **देवकी बाई और अन्य बनाम अभिजीत राय चौधरी और अन्य में दिनांक** 11-5-2011 निर्णय पर भरोसा किया है और कहा कि फैसले के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पैरा 7 में, माननीय डिवीजन बेंच ने माना है कि दावेदार द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोटें पर्याप्त थीं या उनकी मृत्यु होने की संभावना थी। वर्तमान मामले में भी स्थिति एक ही है क्योंकि दावेदारों ने यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है कि मृतक को लगी चोटें पर्याप्त थीं या उनकी मृत्यु होने की संभावना थी। उसने आगे यह भी कहा कि मोटर दुर्घटना में मृतक की मौत को उसके द्वारा लगी चोटों से जोड़ने के लिए कोई निर्णायक चिकित्सा साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है और केवल श्रीमती देवकी बाई PW/1, मृतक की विधवा और PW/2 दयादान का बयान यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मृतक की मृत्यु मोटर दुर्घटना के कारण हुई और वह तत्काल विविध अपील की अनुमति देने के लिए प्रार्थना किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. प्रतिपक्ष, प्रतिवादी क्रमांक 3 के विद्वान वकील ने बीमा कंपनी के विद्वान वकील द्वारा किए गए उपरोक्त प्रस्तुतीकरण का विरोध करते हैं और कथन किया कि चूंकि दुर्घटनाकारित वाहन का बीमा, बीमा कंपनी में किया गया था और मृतक की मृत्यु प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के कारण मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण हुई, इसलिए दावेदार मुआवजा पाने के हकदार हैं और बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज करने की प्रार्थना किया।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा न्यायाधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया है ।

12. की गई दलीलों से, इस न्यायालय के निश्चय के लिए आने वाली बात यह है-

> "क्या विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा यह निष्कर्ष दर्ज किया गया है मृतक की मृत्यु प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के कारण हुई चोटों के कारण हुई और क्या चोट का मोटर-वाहन के उपयोग के कारण हुई मृत्यु से संबंध है कानूनी या उचित है या नहीं"?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत दलील का आधार यह है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने अपनी राय दी है कि सामान्य मृत्यु "संक्रमण के कारण घाव होना था। इस प्रकार, उनका कहना था कि दावेदार मुआवजा पाने के हकदार नहीं हैं। इस निवेदन पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है।

14. प्राकृतिक मृत्यु शब्द जिसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी के 18 वें संस्करण में परिभाषित किया गया है, का अर्थ दुर्घटना या हिंसा के अलावा अन्य कारणों से मृत्यु है। प्राकृतिक कारणों से मृत्यु.

15. वर्तमान मामले में, मृतक को प्रतिवादी नंबर 4 द्वारा वाहन को तेजी से और लापरवाही से चलाने के कारण दुर्घटना में चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप मृतक का बायां पैर कटा गया था और जब वह घर में था, तो यह संक्रमित था, जिससे उसकी मृत्यु हो

गई, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाहन की लापरवाही और तेजी से चलाने के कारण मृत्यु नहीं हुई थी और यदि दुर्घटना नहीं हुई होती, तो उसका बायां पैर नहीं कटता और शरीर में संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, मृत्यु के कारण और दुर्घटना के बीच संबंध है। दावेदार गवाह सुखियारिन बाई PW/1 ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि मृतक के शरीर के ऑपरेशन वाले स्थान पर मृत ऊतक, कोशिकाओं और बैक्टीरिया युक्त गाढ़े तरल पदार्थ की दुर्गंध थी, जिसका न तो बीमा कंपनी द्वारा किसी गवाह के परीक्षण या प्रतिपरीक्षण के माध्यम से खंडन किया गया, ऐसे में मृतक के शरीर में संक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. मृत्यु के कारण और दुर्घटना के बीच संबंध के मामला में गोविंद सिंह और अन्य बनाम ए.एस. कैलासराम और अन्य में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है और दिनांक 1-8-1974 को निर्णय लिया जिसमें इसे पैरा 11 में निम्नानुसार रखा गया है।

> "11. एक दुर्घटना में लगी चोट अगली चोट का कारण हो सकती है। ऑपरेशन टेबल पर पीड़ितों को दुर्घटनावश लगी चोट ऐसी स्थिति का एक उदाहरण है। इसी तरह किसी दुर्घटना से उत्पन्न मानसिक स्थिति के कारण आत्महत्या के मामले भी सामने आते हैं (पिग्नी बनाम पॉइंटेरा ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, (1957) 2 AII ER 807) । स्मिथ बनाम लीच ब्रेन एंड कंपनी लिमिटेड, (1961) 3 AII

ER 1159, एक ऐसा मामला था जहां वादी पिघली हुई धातु के छींटे से घायल हो गया था जिससे उसका होंठ जल गया था बाद में उसे कैंसर हो गया, ऑपरेशन हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। प्रतिवादियों को जलने के मामले में लापरवाह पाया गया और जलने में ऐसे कारक थे जिसने ऊतकों में कैंसर को बढ़ावा दिया, जिसकी पहले से ही घातक स्थिति थी। लॉर्ड पार्कर, सी.जे. ने मृत्यु के लिए दुर्घटना को जिम्मेदार ठहराया और प्रतिवादियों को उस मृत्यु के संबंध में उत्तरदायी पाया। वीलैंड बनाम सिरिल लॉर्ड कार्पेट्स लिमिटेड, (1969) 3 AII ER 1006 एक ऐसा मामला था जहां वादी को प्रतिवादियों की स्वीकृत लापरवाही के कारण चोट लगी थी। अस्पताल में भर्ती होने के बाद, वह चक्कर महसूस कर रही थी और उसका सिर एक कॉलर से बंधा हुआ था जो उसकी गर्दन पर लगाया गया था। परिणामस्वरूप, वह अपने सामान्य क्षमता के साथ अपने बाइफोकल चश्मे का उपयोग करने में असमर्थ हो गई और सीढ़ियों से उतरते समय वह गिर गई, जिससे उसे और चोटें आईं। यह माना गया कि दूसरी बार गिरने के कारण चोटें और क्षति हुई जो प्रतिवादियों की लापरवाही के कारण थी ताकि उनसे मुआवजा प्राप्त किया जा सके। ब्लोर बनाम लिवरपूल डैरिकिंग एंड कंपनी लिमिटेड, (1936) 3 AII ER 399 एक ऐसा मामला था जहां मृतक एक डेरिकर के रूप में कार्यरत था, उसने स्वेच्छा से एक अन्य बजरे पर एक सेलर के रूप में कार्य किया, जहां ठोकर खाई और छेद में गिर गया और उसे मामूली चोटें आईं। उसे अस्पताल ले जाया गया और एक एनेस्थेटिक दिया गया जिसके कारण वह गिर गया और मर गया। पोस्टमार्टम परीक्षण से पता चला कि वह हर्दय के रोग से ग्रसित था। अपीलीय न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि एनेस्थीसिया के प्रभाव से एक कार्य या घटना जो प्रतिवादी द्वारा किए गए गलत कार्य या अपराध और उसके बाद की घटनाओं के बीच कारण संबंध को तोड़ने के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप में नहीं माना जा सकता है । दुर्घटना और मृत्यु के बीच कारण की श्रृंखला और परिणामस्वरूप मृत्यु को दुर्घटना में लगी चोटों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस न्यायालय की एक पीठ को श्रीमती सी.पी. फ्रांसिस बनाम के.एस. शिवाजी एंड कंपनी, सी. मामले पर विचार करना था। 11-2-1974 (Mad.) के इस न्यायालय के निर्णय के 1970 के एम.ए. संख्या 96, क्या एक दुर्घटना का शिकार व्यक्ति जिसके पेट के दाहिने हिस्से पर चोट लगी थी, लेकिन पेट पर कोई स्पष्ट चोट नहीं लगी थी, उसे दुर्घटना में लगी चोट के परिणामस्वरूप मृत्यु माना जा सकता है, जब कुछ दिनों बाद, उसके पेट-दर्द के सर्जिकल उपचार के लिए उसके पेट का ऑपरेशन पड़ा और तब यह पाया गया कि बड़ा ओमेंटम लूप को ढक रहा था और आगे की जांच में पेलाइकाबीस और कटे हुए अपेंडिक्स का पता चला जो आंतों के श्रेणी तक नीचे जाने से रुकावट पैदा हो रही थी, एक झिल्ली जेजुनो-इलियल जंक्शन को ढक रही थी। पीड़ित का ऑपरेशन किया गया, लेकिन पेरिटोनिटिस से उसकी मृत्यु हो गई। इस अदालत ने माना कि, यह दिखाने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव में कि पीड़िता पहले अपेंडिसाइटिस से पीड़ित थी, अदालत का यह मानना उचित था कि इस अदालत की बेंच को श्रीमती सी.पी. फ्रांसिस की मृत्यु पर विचार करना था, जो दुर्घटना के समय मोटर वाहन के चालक की लापरवाही और जल्दबाजी के कारण हुई एपेंडिसाइटिस का परिणाम थी। इस प्रकार के मामलों में सिद्धांत को लॉर्ड डेनिंग, एम.आर. के स्टेटमेंट बनाम वेस्ट अफ्रीकन टर्मिनल्स लिमिटेड, (1954) 2 लॉयड्स प्रतिनिधि 371 (पृष्ठ 375 पर) के शब्दों में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है:

> "यह आवश्यक नहीं है कि परिस्थितियों का सटीक तर्क प्रस्तुत किया जाए। यदि परिणाम सामान्य सीमा के भीतर था, जिसकी कोई भी उचित व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता था (और पूरी तरह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से अलग प्रकार का नहीं था, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था) तो यह नियम के भीतर है कि जो व्यक्ति लापरवाही का दोषी था, वह परिणामों के लिए उत्तरदायी है।"

17. इसके बाद, फिर से मद्रास उच्च न्यायालय में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम एन. मीनल और अन्य के मामले में 8-4-2009 को फैसला सुनाया गया, जिसमें इसे पैरा 19 20 में निम्नानुसार रखा गया है।

"19. दोहराव की कीमत पर, यह कहा गया है कि घायल नचियप्पन ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया। डॉक्टर के महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने दुर्घटना के समय गुर्दे पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले परिणामी लक्षणों को मजबूत किया है। वह एक योग्य डॉक्टर हैं जिन्होंने लंबे समय तक चिकित्सा क्षेत्र में सेवा की है, उनके साक्ष्य में कोई संदेह नहीं है। जब तक विपरीत सबूत सामने नहीं आते, तब तक इस पर भरोसा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर इस कार्यवाही में रिकॉर्ड पर चिकित्सा साक्ष्य यह दिखाने में काफी मदद करेंगे कि नचियप्पन की मृत्यु उन चोटों के कारण हुई जो उन्हें दुर्घटना में लगी थीं और इस न्यायालय को ट्रिब्यूनल द्वारा पारित पुरस्कार में कोई तथ्यात्मक या कानूनी कमी नहीं मिली, जिसके लिए ट्रिब्यूनल के फैसले से किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी पुष्टि की जानी है और तदनुसार इसकी पुष्टि की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. पुनः यह फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंजुला ऑब्रे टॉमलिंसन क्रिस्टी नेचुरल साइटेशन 2023 (Gujhc) 56097 reported in II (2024) ACC 447 (गुजरात) के मामले में अहमदाबाद में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, जिसमें इसे पैरा 41, 42, 43, 44, 45, 49, 51 और 54 में निम्नानुसार रखा गया है।

> "41. उपर्युक्त निर्णय में, गोविंद सिंह बनाम ए.एस. कैलासम 1975 एसीजे 215 के मामले का संदर्भ दिया गया था, जहां मृतक का कोई शव परीक्षण नहीं किया गया था। इसे मामले के तथ्यों के साथ निम्नानुसार रखा गया था:
>
> "9.....अंत में, यह तर्क दिया गया कि हीरा बाई के शव का कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था और इसलिए, यह निश्चित निष्कर्ष देना संभव नहीं है कि उसकी मृत्यु दुर्घटना में लगी चोट के कारण टिटनेस के कारण हुई थी। यहां भी, इस तर्क को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टरों का निश्चित प्रमाण है कि हीरा बाई की मृत्यु टिटनेस के कारण हुई थी और संक्रमण दुर्घटना में लगी चोट के कारण हुआ था। जिरह में पीडब्लू5 का एक भटका हुआ जवाब है कि वह पोस्टमॉर्टम प्रमाण पत्र के बिना मौत का कारण सही ढंग से निर्धारित नहीं कर सकता है, पहले प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि मामले में यह साबित करने के लिए कोई निर्णायक सबूत नहीं है कि हीरा बाई की मृत्यु केवल टिटनेस के कारण हुई थी। यह उत्तर अपरिभाषित नहीं हो सकता क्योंकि असंख्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नैदानिक परिस्थितयों में यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु पूरी तरह से टिटनेस संक्रमण के कारण हुई थी।

42. इस प्रकार, संदर्भित निर्णयों के मद्देनजर, चोटों और मृत्यु के बीच संबंध को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ दावेदार के मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित वाहन दुर्घटना के सबूत के रूप में मृतक की परिस्थितियों के साक्ष्य, जो विश्वास पैदा करता है, सांठगांठ स्थापित करता है, तो मुआवजा देने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है।

43. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम मरियमबाई ए. आदमजी (दिसंबर से) के मामले में, अपने उत्तराधिकारियों और एलआरएस जुबेदा अब्दुलहबीब और अन्य के माध्यम से 2003 (1) जीएलआर 574 में सवाल उठाया गया था कि क्या मृतक की मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी, जहां दुर्घटना के बाद मृतक केवल एक दिन के लिए अस्पताल में था, और उसके बाद पांच अपरिभाषित महीनों में मृत्यु हो गई और मृतक की पत्नी का साक्ष्य यह था कि वह तब तक बिस्तर पर ही था और गरीबी के कारण उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। यह उन तथ्यों पर आधारित था कि ट्रिब्यूनल ने सही निष्कर्ष निकाला था कि मृत्यु दुर्घटना के कारण हुई थी।

44. सोमाबाई वजाभाई एवं अन्य बनाम बाबूभाई भाईलाल भाई एवं अन्य के मामले में जिसे 1981 के लॉ सूट (गुज) 144 में दर्ज किया गया था, यह माना गया कि मृतक एक 20 वर्षीय युवक था जिसे एक टैंकर ने टक्कर मार दी थी । दुर्घटना के दौरान लगी चोट में पेल्विक हड्डी का फ्रेक्चर और मूत्रमार्ग का फटना शामिल था । लगभग तीन महीने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्पताल में रहने के दौरान उसका 03 बार ऑपरेशन किया गया । रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्यों से संकेत मिला है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी चोट का असर बना रहा और उसके कई बार उन्हें संक्षिप्त अवधि के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा । अंततः 17 महीने बाद दुर्घटना के चोट के कारण मृत्यु हुई । मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने में दुर्घटना के मामले में न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कार्य किया कि यह स्थापित नहीं हुआ कि मृत्यु दुर्घटना के दौरान मृतक को लगी चोट के कारण हुई थी । यह माना गया कि यह मानना सही नहीं था कि दुर्घटना में लगी चोट और मृतक की असामयिक मृत्यु के बीच कोई सीधा और निकट संबंध नहीं था, जहां मृत्यु एक साथ दुर्घटना की तारीख के निकट किसी समय बिंदु पर नहीं हुई थी और मुत्यु के कारण के बारे में कोई चिकित्सा साक्ष्य नहीं था। हालांकि यह माना गया कि अपीलकर्ता की प्रत्यक्ष साक्ष्य के प्रकाश में इसकी सराहना की जाती है कि मृत्यु अनिवार्य रूप से दुर्घटना की चोट से जुडी थी। शेष साक्ष्यों और मामले की परिस्थितियों के साथ संभावनाओं और संगतता के मानदंड से परीक्षण करने पर अपीलकर्ता का साक्ष्य अपरिभाषित और अक्षुण्ण निकलता है और इसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं मिलता है । यह देखते हुए कि आसपास की परिस्थितियां भी उसी दिशा में इशारा करती है, यह नोट किया गया कि कोई निश्चित विराम नहीं था, कोई अस्पष्ट अंतराल नहीं था, कोई बड़ा अंतराल नहीं थी जिससे दुर्घटना में लगी चोट और उसके स्पष्ट शारीरिक परिणामों में लगी चोट और असामयिक मृत्यु के बीच की कड़ी को तोड़ा जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्घटना में लगी चोट का परिणाम अर्थात मूत्र संबंधी कठिनाई दुर्घटना की तारीख और मृत्यु की तारीख के बीच के समय के अंतराल में बनी रही और मृतक को इससे राहत देने के लिए उपचार भी उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर लगातार दिया गया। डिवीजन बेंच इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता था कि मृतक अपने जीवन के चरम पर एक युवा था यह देखा गया कि युवा लोग अचानक नहीं मरते, उनकी मृत्यु के लिए कोई अनिर्धारित कारण ढूंढना पड़ता है, इस पर आंखे मूंद लेना और यह अनुमान लगाना कि मृत्यु किसी अन्य अज्ञात कारण से हुई होगी, जबकि इसका कोई भी कारण समझ में नहीं आता, वास्तविकता को अनदेखा करना होगा । यह भी देखा गया कि मृत्यु के कारण को सटीक रूप से स्थापित करने के लिए कोई चिकित्सा सटीक रूप से स्थापित करने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाना तथ्यों और मामले की परिस्थितियों और रिकार्ड पर मौजूद साक्ष्य की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। यह देखा गया कि सभी मामलों में विशेषज्ञों के साक्ष्य प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है और जब दुर्घटना में चोट और मृत्यु के बीच संबंध स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष और परिस्थिति जन्य साक्ष्य को चुनौती नहीं दी जाती है तो ऐसी आवश्यकता की पूर्ति पर जोर देना बेकार होगा ।

45. रामथल एवं अन्य बनाम प्रबंध निदेशक, चेरन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, कोयंबटूर के मामले में, (2003)10 एससीसी 53 में रिपोर्ट किया गया, यह निम्नानुसार देखा गया है–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय ने रिकार्ड पर मौजूद सामग्री पर विस्तार से चर्चा नहीं की । यह विवाद का विषय नहीं है कि मृतक 14.01.1991 से 21.01.1991 तक एक इन्डोर रोगी था । उसके बाद उसका इलाज सरकारी अस्पताल, पल्लदम में चल रहा था वहां मृत्यु हो गयी। चिकित्सा प्रमाण पत्र से पता चलता है कि मृत्यु का कारण प्राथमिक रोग हाइपोक्सिक एन्सेफैलोपैथी था और मृत्यु का तत्काल कारण कार्डियो–श्वसन अरेस्ट था । दावेदारों की ओर से जांच करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि दुर्घटना मृतक की मृत्यु का कारण हो सकती है । प्रतिवादी ने यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई कि दुर्घटना और मृत्यु के बीच कोई संबंध नहीं था । उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि उचित चिकित्सा उपचार नहीं था और इसलिए, मृत्यु का कारण दुर्घटना नहीं है, रिकार्ड पर किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं लगता है । किसी भी स्थिति में इसे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया सही दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है, खासकर जब न्यायाधिकरण पक्षों द्वारा रिकार्ड पर लाई गई सामग्रियों के आधार पर विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा । न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को पलटने के अपने फैसले के समर्थन में उच्च न्यायालय द्वारा कोई मजबूत और ठोस कारण नहीं दिया गया है । इसने सामग्री का विश्लेषण किए बिना और तथ्यों के स्पष्ट निष्कर्षपर पहुंचे बिना प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किए गए सबमिशन को स्वीकार कर लिया।

49. लेक्सिसनेक्सिस द्वारा लिखित वर्डस एवं फ्रेजेज लीगली डिफाइन्ड, इंडियन रिप्रिंट, चौथा संस्करण , वॉल्यूम 1 ए–के में पृष्ठ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

596 पर "चोट के परिणामस्वरूप" शीर्षक के अंतर्गत , कार्य कारण श्रृंखला की अवधारणा को निम्नानुसार समझाया गया है–

यदि वास्तव में चोट के कारण मृत्यु हुई है, तो यह कहना प्रासंगिक नहीं थी । यह प्रश्न कि क्या मृत्यु उसका स्वाभाविक या संभावित परिणाम नहीं थी । यह प्रश्न कि क्या मृत्यु चोट के कारण हुई है, कार्य–कारण की श्रृंखला की जांच में ही हल जो जाता है । यदि कार्य–कारण की श्रृंखला को नोवस एक्टस इंटरवेनियंस द्वारा तोड़ा जाता है, जिससे पुराना कारण चला जाता है और उसके स्थान पर नया कारण आ जाता है तो यह एक नया कार्य है जो बाद के परिणाम को एक नया मूल देता है । डनहम बनाम क्लेयर (1902) 2 केबी 292 296 पर, सीए कोलिन्स एम आर के अनुसार श्रमिक मुआवजा अधिनियम के तहत दावेदार को यह साबित करना होगा कि उसके रोजगार के अनिर्धारित क्रम में दुर्घटना हुई है और चोट या मृत्यु उसके कारण हुई है । यदि वास्तव में यह दुर्घटना का परिणाम है, तो परिणाम को दुर्घटना का प्रत्यक्ष या स्वाभाविक या संभावित परिणाम होने की आवश्यकता नहीं है ।

यह पर्याप्त है कि दुर्घटना ने मृत्यु को जन्म दिया या इसमें योगदान दिया या इसे त्वरित किया और उससे यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना मृत्यु में योगदान दे सकती है यदि दुर्घटना ने व्यक्ति के शरीर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि वह उसके कारण शारीरिक रूप से अधिक संवेदनशील हो गया है जो अंततः उसे मार देता है । कॉमरी बनाम न्यू

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हकनॉल कोलियरी कंपनी लिमिटेड (1991)88 एलजेकेबी 462 465 पर, सीए, स्क्रूटन एलजे के अनुसार"

50. रतनलाल और धीरजलाल द्वारा लिखित द लॉ ऑफ ऑर्टस, 23 वां संस्करण 1997, अध्याय IX में "कारण" को इस प्रकार समझाया गया है–

"यदि आरोपित क्षति प्रतिवादी के गलत कार्य के कारण नहीं हुई है तो इसकी दूरस्थता का प्रश्न ही नहीं उठता । इस सवाल का फैसला करने के लिए कि क्या नुकसान गलत काम की वजह से हुआ था, आमतौर पर स्वीकार किये जाने वाले परीक्षण के रूप में जाना जाता है । इसका मतलब यह है कि अगर नुकसान प्रतिवादी के गलत काम की वजह से नहीं हुआ होता, तो इसे गलत काम की वजह से हुआ नहीं माना जाएगा ।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

51. डॉ. के.एस. नारायण रेड्डी द्वारा लिखित द एसेंशियल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, सोलहवां संस्करण 1997 में "मृत्यु का कारण" इस प्रकार समझाया गया हे–

" मृत्यु का कारण वह बीमारी या चोट है जो घटनाओं के क्रम को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है जो संक्षिप्त या लंबे समय तक चलने वाली होती है और जो मृत्यु का कारण बनती है । इसे निम्न में विभाजित किया जा सकता हैः (1) तात्कालिक कारण, यानी अंतिम घटना के समय, जैसे ब्रोन्कोन्यूमोनिया, पेरिटोनिटिस, आघात, आदि । (2) मूल कारण, यानी अंतिम घटना के समय या घटना से पहले या उससे पहले मृत्यु के लिए जिम्मेदार रोग प्रक्रियाएं, जैसे सामान्यीकृत

पेरिटोनिटिस द्वारा जटिल पेट में गोली का घाव । (3) सहायक कारण, यानी रोग प्रक्रिया जो शामिल है या जटिल है, लेकिन अंतिम घटना का कारण नहीं है । कुछ मामलों में, मूल और तात्कालिक कारण समान हो सकते है । मृत्यु का तरीका वह तरीका है जिससे मृत्यु का कारण उत्पन्न हुआ । यदि मृत्यु केवल बीमारी से होती है, तो मृत्यु का तरीका प्राकृतिक है । यदि मृत्यु केवल चोट लगने से होती है या प्राकृतिक बीमारी से पीडित व्यक्ति में चोट लगने के कारण जल्दी होती है, तो मृत्यु का तरीका अप्राकृतिक या हिंसक है । ”

54. ब्लैक लॉ डिक्शनरी, नौवें संस्करण में, “निकटतम कारण" की व्याख्या इस प्रकार की गई है। 1. ऐसा कारण जो कानूनी रूप से देयता के लिए पर्याप्त होः ऐसा कार्य या चूक जिसे कानून में परिणाम के रूप में माना जाता है, ताकि कर्ता पर देयता लगाई जा सके । 2. ऐसा कारण जो किसी घटना को उत्पन्न करता है और जिसके बिना घटना घटित नहीं होती"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. उपरोक्त कानूनी स्थिति से और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य और डॉक्टर द्वारा दी गयी राय पर विचार करते हुए कि मृतक के शरीर में संक्रमण था और उसका बायां पैर काटा गया था जो विवादित नहीं है और शरीर का संक्रमण पैर काटे जाने के परिणामस्वरूप हुआ है । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ट्रेक्टर को लापरवाही से चलाने के कारण मृत्यु हुई थी, इस प्रकार मृत्यु के कारण वाहन दुर्घटना से संबंधित है । इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि बीमा कंपनी ने

श्रीमती सुखियारिन बाई के बयान का खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है । श्रीमती सुखियारिन बाई (PW–01) जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसके पति का बायां पैर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाने के कारण कट गया था और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई । इस प्रकार, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि मृतक की मृत्यु तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई थी, जिसके कारण उसका बायां पैर कट गया । इस प्रकार अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलील कि यह प्राकृतिक मृत्यु थी और दावेदारों ने यह साबित करने के लिए किसी डॉक्टर की जांच नहीं की है कि मृत्यु अंग–भंग के कारण हुई थी, खारिज किए जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. प्रपी.–01 से प्रपी.–11 अर्थात आपराधिक मामले के अभिलेख के अवलोकन से यह भी साबित होता है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा ट्रेक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण यह घटना घटी है, इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा मुद्दा संख्या 2 के संबंध निष्कर्ष दर्ज किया गया कि क्या मृतक को लगी चोटो के कारण उसकी मृत्यु 05.05.2013 को हुई, जिसे अभिलेख के प्रतिकूल या विपरीत नहीं कहा जा सकता ।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उदधृत केस लॉ वर्तमान केस के तथ्यों से अलग है क्योंकि उस केस में न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय के पैरा 9 से प्रतिबिंबित कोई

पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी जिससे यह स्थापित हो सके कि शंकर की मृत्यु मोटर दुर्घटना में लगी चोटो के कारण हुई थी और उस केस में मृतक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 21.07.2005 को अपनी मृत्यु से लगभग 05 महीने पहले गांव में था, जबकि वर्तमान मामले में दावेदारों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आपराधिक केस के रिकॉर्ड प्रस्तुत किए हैं जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सामान्य मृत्यु संक्रमण के कारण हुई थी और बीमा कंपनी भी रिकार्ड पर यह नहीं लाया है । यह दर्शाया है कि मृतक को दुर्घटना से पहले संक्रमण था । इसलिए, बीमा कंपनी विद्वान दावा न्यायाधिकरण के समक्ष अपने तर्क को साबित करने में बुरी तरह से विफल रही है, इस प्रकार विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप को उचित ठहराने वाले आदेश को पारित करने में कोई अवैधता या दोष नहीं किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. तदनुसार बीमा कंपनी द्वारा दायर की गई अपील योग्यता से रहित होने के कारण तत्काल खारिज की जा सकती है इसलिये इसे खारिज किया जाता है । विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 08.11.2016 के निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार दावेदारों को मुआवजे की क्षति वितरीत की जाए, विशेष रूप से मामले पर निर्णय करते समय पैराग्राफ 18 में इस न्यायालय द्वारा 06.02.2017 को पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है ।

23. लंबित अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाएं ।

सही/-
(नरेन्द्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur